ई0प0सं0–26015/2022

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : मार्च, 2024

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव कार्यों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–9168/वि0अनु0/02/शा0अनु0/ 2023–24 दिनांक 09.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव हेतु ₹ 659.82 लाख (₹ छः करोड़ उनसठ लाख बियासी हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित समस्त मानकों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का योजनावार, वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा योजनाओं का पूर्ण पारदर्शिता के साथ तथा डुप्लीकेसी की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

(vii) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तों, यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई–106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान (फेज 1 व 2)–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–I/111469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/194751/2024 दिनांक 29.02.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Karmendra Singh
Date: 01-03-2024 17:39:50
(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या– (1)/उन्तीस(2)/2024–2(27पे0)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 01-03-2024 17:42:25
(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।